Rajasthan Strengthens PM Fasal Bima Yojana Guidelines to Protect Farmers

The Rajasthan Government has released a new guidelines document of 80 pages to facilitate faster crop insurance claim settlement under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and to enhance accountability of insurance companies. The new rules impose strict timelines, penalties, and monitoring mechanisms to safeguard farmers' interests.

Key Highlights

Aspect	Details
Scheme	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
State	Rajasthan
Issued By	Department of Agriculture, Government of Rajasthan
Guidelines Released By	Agriculture Commissioner Naresh Kumar Goyal
Document Length	80-page revised guideline

Survey Timeline	Surveyor must be appointed within **48 hours** of receiving post-harvest damage information
Penalty for Delay in Appointment	**₹20,000** per incident
Survey Completion	Mandatory within **10 days** after surveyor appointment
Penalty for Delay in Survey	**₹1,000** per pending case
Crop Cutting Experiment Rule	If the insurance company does not participate in co-supervision, the Agriculture Department's report will be treated as final
Objective	Faster claim settlement and greater protection for farmers

Background

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was introduced in 2016 to offer some financial security to the farmers against natural disasters, pest and disease incidence on the crops. The purpose of the scheme is to help to bring stability to the farmers' income, promote modern agriculture and ensure food security.

The new guidelines for the state of Rajasthan have taken care of recurring problems like late field surveys, late insurance claim processing and competing disputes of crop loss assessment. The state government is hoping this will enhance transparency and accountability in the insurance sector by adding financial penalties and setting definite timelines.

Importance

The new guidelines are expected to speed up insurance claims, minimize unwarranted disputes, and bolster farmers' trust in the crop insurance system. The timely compensation will facilitate farmers in recovering their losses efficiently and enhance the sustainability of the farming system in Rajasthan.

Conclusion

The new PMFBY rules are a positive move towards farmer welfare in Rajasthan. The State has ensured strict timelines, penalties for non-compliance and officially accepted crop assessment reports, which have improved the crop insurance process and the financial security of farmers.

RASonly

MCQs

Q1. Under the revised PMFBY guidelines in Rajasthan, within how many hours must an insurance company appoint a surveyor after receiving post-harvest damage information?
A. 24 hours
B. 36 hours
C. **48 hours**
D. 72 hours

Answer: C

Q2. What penalty is imposed if an insurance company fails to appoint a surveyor within the prescribed time?
A. ₹10,000
B. **₹20,000**
C. ₹25,000
D. ₹50,000

Answer: B

Q3. Within how many days must the appointed surveyor complete the crop damage survey?
A. 5 days
B. 7 days
C. **10 days**
D. 15 days

Answer: C

Q4. If an insurance company does not participate in the Crop Cutting Experiment (CCE) co-supervision, whose report will be treated as final?
A. District Collector
B. Insurance Company
C. Gram Panchayat
D. **Agriculture Department**

Answer: D

RASonly

किसानों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की नई गाइडलाइन जारी की

राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना **(PMFBY)** के तहत फसल बीमा दावों के शीघ्र निपटान और बीमा कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **80** पृष्ठों की नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों के तहत किसानों के हितों की रक्षा के लिए सख्त समय-सीमा, जुर्माने और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है।

मुख्य बिंदु (Key Highlights)

पहलू	विवरण
योजना	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
राज्य	राजस्थान
जारी करने वाला विभाग	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
गाइडलाइन जारी करने वाले अधिकारी	कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल
दस्तावेज़ की लंबाई	80 पृष्ठों की संशोधित गाइडलाइन
सर्वे की समय-सीमा	कटाई के बाद फसल नुकसान की सूचना मिलने के **48** घंटे के भीतर सर्वेयर की नियुक्ति अनिवार्य
सर्वेयर नियुक्ति में देरी पर जुर्माना	प्रति घटना **₹20,000**
सर्वे पूरा करने की समय-सीमा	सर्वेयर नियुक्त होने के **10** दिनों के भीतर सर्वे पूरा करना अनिवार्य
सर्वे में देरी पर जुर्माना	प्रत्येक लंबित प्रकरण पर **₹1,000**
क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट **(CCE)** नियम	यदि बीमा कंपनी सह-पर्यवेक्षण में भाग नहीं लेती है, तो कृषि विभाग की रिपोर्ट अंतिम मानी जाएगी
उद्देश्य	बीमा दावों का त्वरित निपटान और किसानों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना **(PMFBY)** की शुरुआत **2016** में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का लक्ष्य किसानों की आय को स्थिर करना, आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन में फील्ड सर्वे में देरी, बीमा दावों के लंबित रहने और फसल नुकसान के आकलन को लेकर होने वाले विवाद जैसी समस्याओं का समाधान किया गया है। निर्धारित समय-सीमा और आर्थिक दंड के माध्यम से बीमा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया गया है।

RASonly

महत्व

नई गाइडलाइन से बीमा दावों का निपटान अधिक तेज़ी से होगा, अनावश्यक विवाद कम होंगे और किसानों का फसल बीमा प्रणाली पर विश्वास मजबूत होगा। समय पर मिलने वाला मुआवजा किसानों को नुकसान से शीघ्र उबरने में सहायता करेगा तथा राजस्थान में कृषि क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नई गाइडलाइन राजस्थान में किसान कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सख्त समय-सीमा, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और कृषि विभाग की रिपोर्ट को मान्यता देने जैसे प्रावधान फसल बीमा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएंगे तथा किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे।

MCQs

Q1. राजस्थान में संशोधित **PMFBY** गाइडलाइन के अनुसार, कटाई के बाद फसल नुकसान की सूचना मिलने पर बीमा कंपनी को कितने घंटे के भीतर सर्वेयर नियुक्त करना अनिवार्य है?
A. 24 घंटे
B. 36 घंटे
C. 48 घंटे
D. 72 घंटे

उत्तर: C

Q2. निर्धारित समय के भीतर सर्वेयर नियुक्त न करने पर बीमा कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा?
A. ₹10,000
B. ₹20,000
C. ₹25,000
D. ₹50,000

उत्तर: B

Q3. नियुक्त किए गए सर्वेयर को फसल नुकसान का सर्वे कितने दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है?
A. 5 दिन
B. 7 दिन
C. 10 दिन
D. 15 दिन

उत्तर: C

Q4. यदि बीमा कंपनी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट **(CCE)** के सह-पर्यवेक्षण में भाग नहीं लेती है, तो किसकी रिपोर्ट अंतिम मानी जाएगी?
A. जिला कलेक्टर
B. बीमा कंपनी
C. ग्राम पंचायत
D. कृषि विभाग

उत्तर: D

RASonly

RASonly